उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 3867–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2014–21–मा0सं0–01/2007 दिनांक : 29 अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उत्पादन निगम लि0 के नियुक्ति आदेश सं0 41–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013 दिनॉक 04–01–2013, सं0 1740–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/ 2013 दिनॉक 10–04–2013 तथा सं0 3317–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013 दिनॉक 06–07–2013 के सन्दर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त अधोलिखित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) (ई0एण्डएम0) को एतद्द्वारा दिनांक 27.09.2014 से स्थानापन्न एवम् अस्थाई सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :–

कम सं0	नाम	अनुकमांक	विधा	वर्ग	वर्तमान तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6
1–	श्री शोभित सोनी	18110052	इलेक्ट्रानिक्स	सामान्य	पारीछा
2–	श्री मनोज कुमार त्यागी	18110065	इलेक्ट्रिकल	सामान्य	हरदुआगंज
3–	श्री अवनीश कुमार	55110012	इलेक्ट्रानिक्स	अ0पि0वर्ग	पारीछा
4–	श्री अर्जुन	55100005	मैकेनिकल	अ0पि0वर्ग	ओबरा

2– उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर उत्पादन निगम लि0 में प्रचलित तथा भविष्य में समय–समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे। ज्ञातव्य हो कि उत्पादन निगम की सेवाएं पेंशनरी नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की पेंशन अनुमन्य नहीं है। पूर्व सेवा योजक के अधीन सेवाएं पेंशनरी होने की स्थिति में भी निगम में पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3– उपरोक्त नियुक्तियॉ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्तता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4– यह नियुक्तियॉ अस्थायी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उप बन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

कमशः 2/–

5– यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण–पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– सम्बन्धित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निगम के बृहद ताप विद्युत गृह के संचालन एवम स्थापित संयत्रों/मशीनों के परिचालन एवम अनुरक्षण हेतु की गई है। अतः इन कार्यों के निवर्हन हेतु इनको सेवा काल के प्रारम्भिक दस वर्षों में निगम के ताप विद्युत गृह/गृहों में अनिवार्य रूप से तैनात रहना होगा।

संजय अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3867(1)मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2014–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

3– मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर, (अलीगढ़)/पारीछा (झॉसी)/पनकी (कानपुर) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का0ज्ञा0 की छायाप्रति कराकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को अपने स्तर से हस्तगत कराने का कष्ट करें।

4– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा बाइंडिग सेल/प्रशिक्षण/उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9– मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

11– सहायक अभियन्ता (डाटा बेस) सम्बद्ध उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–01), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12– अनुभाग अधिकारी (मा0सं0–06), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

13– वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

(सैय्यद यूसुफ हसन)
अनु सचिव

C:\Users\UPRVUNL\Documents\AMIT\Regular.doc